

2020/00010

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 3/2020 (अपील)

उनवान

मोडूलाल पुत्र देवलाल जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा
तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी सुल्तानपुर वन मण्डल
कोटा

(रेस्पोंडेण्ट)

- उपस्थित :- 1. श्री तेजसिंह धाबाई (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 19.12.2019 मिसल नम्बर 31/2019
न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 29.01.2020

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं न्याय तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम नृसिंहपुरा तहसील दीगोद के ख0 नं0 113 रकबा 0.32 हैक्टर भूमि अतिक्रमण करने पर निर्णय दिनांक 19.12.2019 से शास्ति 320/-रूपये एवजाना राशि रूपये 20000/-रूपये योग 20320/-रूपये एवं तीन माह का साधारण कारावास से दण्डित करने में त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, पूर्व में ही अपीलाण्ट ने कब्जा छोड़ दिया था। वर्तमान में वह अपने खाते काश्त की आराजी पर काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी सुल्तानपुर की झूठी असत्य रिपोर्ट को ही आधार मानकर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट के विरुद्ध जुर्माना राशि भी मनमाने रूप से अत्यधिक अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपित की है जबकि अपीलाण्ट गरीब काश्तकार है उक्त जुर्माना राशि जमा कराने में असमर्थ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2019 को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोंडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलान्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय सुनवाई का मौका दिये एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, पूर्व में ही अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया था। वर्तमान में वह अपने खाते काशत की आराजी पर काशत कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2019 को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलान्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी सुल्तानपुर की रिपोर्ट में मिसल नं० 20/17 निर्णय दि० 29.11.2017 व अपीलान्ट मोडूलाल के बयान दिनांक 19.12.2019 से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है।

7. अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते परन्तु चूंकि अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा भूमि पर कब्जा छोड़ना अंकित किया है। अतः नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट द्वारा तावान जमा कराने व कब्जा हटाने के संबंध में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में 15 दिवस में शपथ पत्र पेश करने तथा कब्जा हटाने की व तावान जमा कराने की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करने की शर्त पर सजा निरस्त की जाती है। अन्यथा सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रभावी रहेगा।

8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा